रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249217
CG-DL-E-06102023-249217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4204] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2023/आश्विन 14, 1945
No. 4204] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4375(अ).—अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन, भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 451 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन तारीख 2 अप्रैल, 2004 को अंतरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और,उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 30 दिसंबर, 2010 को प्रस्तुत किया था;

और, केंद्रीय सरकार और पक्षकार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा उनसे संबंधित निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को तारीख 29 मार्च, 2011 को निर्दिष्ट किया था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, उक्त अधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को आगे की रिपोर्ट तारीख 29 मार्च, 2011 को या उससे एक वर्ष से पूर्व, अग्रेषित करना अपेक्षित था;

और, उक्त अधिकरण के अनुरोध पर, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 653 (अ), तारीख 29 मार्च, 2012, का.आ. 2339 (अ),तारीख 28 सितंबर, 2012, का.आ. 916 (अ),तारीख 2 अप्रैल, 2013, का.आ. 2939 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2013, का. आ. 3515 (अ) तारीख 27 नवंबर, 2013 द्वारा 31 जनवरी, 2014 तक आगे बढ़ाई गई थी, जिसे जल संसाधन मंत्रालय के तारीख 5 फरवरी, 2014 के आदेश द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2014 तक और विस्तारित की गयी थी, अधिसूचना संख्या का.आ. 1290 (अ), तारीख 15 मई, 2014, का.आ. 2462 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2016 का.आ. 2459 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2017; का.आ. 3950 (अ), तारीख 9 अगस्त,2018 और का.आ. 3146 (अ), तारीख 29, अगस्त 2019, का.आ. 2412 (अ), तारीख 23 जुलाई, 2020 ,का.आ. 2890 (अ), तारीख 20 जुलाई, 2021 और का.आ. 2916 (अ), तारीख 27 जून, 2022, द्वारा विस्तार की ज्ञी थी;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार को अपनी आगे की रिपोर्ट की तारीख 29 नवंबर,2013 को अग्रेषित की थी;

और,उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन, अधिकरण द्वारा रिपोर्ट अग्रेषित किये जाने के पश्चात् और केंद्रीय सरकार को यह संतुष्टि होने पर कि अधिकरण की मामले में और निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी, केंद्रीय सरकार अधिकरण का यथाशीघ्र विघटन कर देगी;

और, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 89 यह उपबंध करती है कि कृष्णा जल विवाद अधिकरण की अवधि उक्त धारा के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश- निबंधनों की शर्तों के साथ विस्तारित होगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 2994 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2023 द्वारा 31 मार्च, 2024 तक की अवधि का विस्तार किया था ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश- निबंधनों का निदान किया जा सके;

और, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन तेलंगाना सरकार से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि केवल आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच निर्देश के दायरे को सीमित करके अंतरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए उक्त अधिकरण को भेजा जाए;

और, केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन मामले में आधिकरण को आगे के विचारार्थ विषय भेजा जाना आवश्यक है;

अब, इस प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 12 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार न्यायनिर्णयन के लिए उक्त अधिकरण को निम्नलिखित आगे के विचारार्थ विषय भेजती है:

(1) मौजूदा विचारार्थ विषयों में खंड (क) और (ख) के प्रयोजन के लिए, "परियोजना-वार" का अर्थ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की मौजूदा, चालू और विचारित परियोजनाएं हैं।

(2) पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के अविभाजित हिस्से से कृष्णा नदी के पानी को तेलंगाना और वर्तमान राज्य आंध्र प्रदेश के बीच वितरित/आवंटित करेगा। इस वितरण/आवंटन के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य का कुल अविभाजित हिस्सा इस प्रकार माना जा सकता है:-

(i) कृष्ण जल विवाद अधिकरण-I द्वारा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को किया गया कुल आवंटन (एकमुश्त) 811 टीएमसी और इसके अलावा उक्त अधिकरण द्वारा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को किया गया कोई भी अतिरिक्त आवंटन।

(ii) गोदावरी नदी विवाद अधिकरण द्वारा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित पानी का हिस्सा जो पोलावरम परियोजना के माध्यम से गोदावरी से कृष्णा तक पानी के हस्तांतरण और पोलावरम परियोजना से गोदावरी से कृष्णा तक किसी भी अन्य प्रस्तावित हस्तांतरण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

[का.सं.एन -57021/2/2021- बीएम अनुभाग, एम वो डब्ल्यू आर – भाग (2)]

आनंद मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2023

S.O. 4375(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereafter in this notification referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter in this notification referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And, whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on 30th December, 2010;

And, whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra referred their respective references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act on 29th March, 2011;

And, whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on or before one year from 29th March, 2011;

And, whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended from time to time *vide* notifications number S.O 653(E), dated the 29th March, 2012, S.O. 2339 (E), dated the 28th September, 2012, S.O. 916 (E), dated the 2nd April, 2013, S.O. 2939 (E), dated the 27th September, 2013, S.O. 3515(E), dated the 27th November, 2013 up to the 31st January, 2014, which was further extended up to 31st July, 2014, *vide* Ministry of Water Resources order dated 5th February, 2014, S.O.1290 (E), dated the 15th May, 2014, S.O. 2462 (E), dated the 18th July, 2016, S.O. 2459 (E), dated the 31st July, 2017, S.O. 3950 (E), dated the 9th August, 2018, S.O. 3146 (E), dated the 29th August, 2019, S.O. 2412 (E), dated the 23rd July, 2020, S.O. 2890 (E), dated the 20th July, 2021, and S.O 2916 (E), dated the 27th June, 2022;

And, whereas, the said Tribunal forwarded to the Central Government its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 29th November, 2013;

And, whereas, under section 12 of the said Act, the Central Government shall dissolve the Tribunal after it has forwarded its report and as soon as the Central Government is satisfied that no further reference to the Tribunal in the matter would be necessary;

And, whereas, section 89 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 (6 of 2014) provides that the term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the said section;

And, whereas, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, the Central Government extended the period of submission of further report by the said Tribunal up to 31st March, 2024 so as to address the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of section 89 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 *vide* notification of the Government of India, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, in the Ministry of Jal Shakti, number S.O. 2994 (E), dated the 6th July, 2023;

And whereas, a request has been received from the Government of Telangana under section 3 of the said Act, to refer the water disputes regarding the Inter-State river Krishna, and the river valley thereof, by confining the scope of reference between the jurisdictional limits of States of Andhra Pradesh and Telangana only, to the said Tribunal for adjudication;

And, whereas, the Central Government is satisfied that further reference to the Tribunal in the matter is necessary under section 12;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in section 3, sub-section (1) of section 5 and section 12 of the said Act, the Central Government hereby refers the following further terms of reference to the said Tribunal for adjudication:

(1) for the purposes of clauses (a) and (b) in the existing terms of reference, "project-wise" means existing, on-going and contemplated projects of both the States of Telangana and Andhra Pradesh; and

(2) shall distribute/allocate the Krishna River waters between the States of Telangana and the present State of Andhra Pradesh from the undivided share of erstwhile State of Andhra Pradesh and the total undivided share of the erstwhile State of Andhra Pradesh that may be considered for the purpose of this distribution/allocation is as below:

(i) 811 Thousand Million Cubic Feet (TMC) of overall allocation (*en bloc*) made by the Krishna Water Disputes Tribunal-I to the erstwhile State of Andhra Pradesh and any additional allocation over and above it made by the said Tribunal to the erstwhile State of Andhra Pradesh; and

(ii) share of water allocated to the erstwhile State of Andhra Pradesh by the Godavari Water Disputes Tribunal, which is made available by transfer of water from Godavari to Krishna through Polavaram Project and any further transfer from Godavari to Krishna from Polavaram project, if proposed.

[F.No. N-57021/2/2021-BM Section-MOWR-Part(2)]

ANAND MOHAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.06 21:58:20 +05'30'